22/
14.30

संख्या : 12 /XXXX/2018-02/2018

प्रेषक,

हरबंस सिंह,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांक 12 जनवरी, 2018

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम अनुपूरक मांग में प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 15790/लेखा–399/2017–18 दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रथम अनुपूरक मांग में अनुदान संख्या–12 के अन्तर्गत **संलग्नक–1 एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0** में अंकित विवरणानुसार प्रथम अनुपूरक मांग में मानक मद–01 में प्राविधानित धनराशि **कुल रू0 5227 हजार (रू0 बावन लाख सत्ताईस हजार मात्र)** की धनराशि वर्णित अनुदान/लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
2. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 सुसंगत प्राविधानों, वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता संबंधी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाये।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 लेखा नियम आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
6. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर मासिक व्यय की सारणी बनाते हुए नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

क्रमशः--2

G:\old data12\Budget\anupurak\LET.doc.

7. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1362/3(150)XXVII(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और यथाआवश्यकता सूचनाऐं निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–12 के सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत संलग्न–1 में वर्णित शीर्षकों की प्राथमिक ईकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक यथोपरि।

भवदीय,

(हरबंस सिंह चुघ)
प्रभारी सचिव

संख्या : 12 /XXXX/2018-02/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, देहरादून।
3. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव